इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 376] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 सितम्बर 2015—भाद्र 20, शक 1937

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2015

क्र. 814-144-सीसी-15-अड़तीस.—मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) की धारा 42 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1.नियम 9 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2) विनियामक आयोग निजी विश्वविद्यालयों से प्राप्त एक प्रतिशत फीस की पचास प्रतिशत राशि 15 दिन के भीतर कोषालय में शीर्ष "(01) सामान्य शिक्षा (1) 0202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, 103—विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (0662) निजी विश्वविद्यालयों से प्राप्तियाँ" के अधीन जमा करेगा तथा शेष पचास प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा यथाविहित "उच्च शिक्षा कोष" के खाते में जमा करेगा और जिसकी जानकारी उपाबंध "ड." में यथाविहित प्ररुप में रखी जाएगी और उसकी एक प्रति प्रायोजी निकाय एवं आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को पारेषित की जाएगी।"।

2 विद्यमान उपाबंध "ड." के स्थान पर, निम्नलिखित उपाबंध स्थापित किया जाए, अर्थात :—

उपाबंध "ड."

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

दूरभाष कमांक ....
फैक्स कमांक ....
ई–मेल ....
तारीख ....

कमांक ....

विषयः– मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि एवं उच्च शिक्षा कोष में जमा की गई फीस का विवरण.

(अ) कोषालय में जमा की गई फीस का विवरण

अनुकमांक	विश्वविद्यालय का नाम	उस मास का नाम जिसमें फीस संग्रहीत की गई है	विवरण कमांक तथा वर्ष	रकम	अभ्युक्तियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

कॉलम 5 का योग : रुपए ....(अंकों में) रुपए ....(शब्दों में)

(1) भुगतान पाने वाले का नाम : मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
(2) वह शीर्ष जिसके अधीन रकम राज्य की संचित निधि में जमा की गई है ....
(3) कोषालय का नाम, जिसमें रकम जमा की गई है ....
(4) पाने वाले के खाते में देय चेक का कमांक ....
(5) चेक जारी करने की तारीख ....
(6) बैंक का नाम जिस पर चेक आहरित किया गया हैं ....
(7) विनियामक आयोग के उस अधिकारी का नाम एवं पदनाम जिसने चेक पर हस्ताक्षर किए हैं ....

(1) हस्ताक्षर ....(2) हस्ताक्षर..........................

पदनाम ....पदनाम ....

(ब) उच्च शिक्षा कोष में जमा की गई फीस का विवरण

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	उस मास का नाम जिसमें फीस संग्रहीत की गई है	विवरण क्रमांक तथा वर्ष	रकम	अभ्युक्तियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

कॉलम 5 का योग : रुपए ....(अंकों में) रुपए ....(शब्दों में)

(1) भुगतान पाने वाले का नाम : उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

(2) वह शीर्ष/खाता जिसके अधीन रकम उच्च शिक्षा कोष में जमा की गई है ....

(3) कोषालय/बैंक का नाम, जिसमें रकम जमा की गई है ....

(4) पाने वाले के खाते में देय चेक का क्रमांक ....

(5) चेक जारी करने की तारीख ....

(6) बैंक का नाम जिस पर चेक आहरित किया गया हैं ....

(7) विनियामक आयोग के उस अधिकारी का नाम एवं पदनाम जिसने चेक पर हस्ताक्षर किए हैं ....

(1) हस्ताक्षर ....(2) हस्ताक्षर..........................

पदनाम ....पदनाम ....

स्पष्टीकरण :— कॉलम क्रमांक (4): प्रत्येक मास में संग्रहीत की गई फीस और उसे विनियामक आयोग को भेजने संबंधी जानकारी प्ररुप में अंतर्विष्ट है। प्रत्येक मास के लिए जानकारी प्ररुप में संबन्धित विश्वविद्यालय द्वारा विवरण क्रमानुसार क्रमांकित की जाएगी। निजी विश्वविद्यालय इसमें वर्ष का भी वर्णन करेगा। यह विवरण क्रमांक तथा वर्ष इस कॉलम में, विनियामक आयोग के कार्यालय में उल्लिखित किया जाना चाहिए।"।

No. 814-144-CC-15 XXXVIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 42 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Rules, 2008, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,

1 .in rule 9, for sub rule (2), the following sub rule shall be substituted, namely :-

"(2) Regulatory Commission shall credit fifty percent amount of the one percent fees received from the private universities within 15 days in the Treasury under the head "01- General education (1) 0202- Education, Sports, Art and Culture, 103- University and Higher Education (0662) receipt from private universities" and remaining fifty percent amount shall be credited in the "Higher Education Fund" account as prescribed by the State Government and information shall be kept in form as prescribed in Annexure - E and a copy of the same be transimitted to sponsoring body and Commissioner, Higher Education, Bhopal."

2. for the exisiting Annexure – E , the following Annexure shall be substituted, namely :-

Annexure – E

MADHYA PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Phone No. ....

Fax No. ....

E- Mail ....

Date ....

No. ....

Sub. Statement of fees credited to the consolidated fund of the State of Madhya Pradesh/ Higher Education Fund.

(A) Statement fo Fee Amount Deposited in Treasury

Sl. No.	Name of the University	Month in which fees was colleted	Statement Number and year	Amount	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Total of column (5) : Rs. ....(in Figures) Rs. ....(in words)

(1) Name of payee : Govermnent of Madhya Pradesh, Bhopal............................

(2) Head under which the amount is to be credited in the consolidated Fund of the State ....

(3) Name of the Treasury in which amount is deposited ....

(4) No. of Account payee cheque ....

(5) Date of issue of cheque ....

(6) Name of the bank on which the cheque is drawn ....

(7) Name and designation of the officer of Regulatory Commission signing the Cheque ....

(1) Signature .... (2) Signature..............

Designation .... Designation...........

(B) Statement fo Fee Amount Deposited in Higher Education Fund

Sl. No.	Name of the University	Month in which fees was colleted	Statement Number and year	Amount	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Total of column 5 : Rs. ....(in Figures) Rs. ....(in words)

(1) Name of payee : Higher Education Department Govermnent of Madhya Pradesh, Bhopal..

(2) Head /Accound under which the amount is to be credited in the Higher Education Fund of the State ....

(3) Name of the Treasury / Banke in which amount is deposited ....

(4) No. of Account payee cheque ....

(5) Date of issue of cheque ....

(6) Name of the bank on which the cheque is drawn ....

(7) Name and designation of the officer of Regulatory Commission signing the Cheque ....

(2) Signature .... (2) Signature.............

Designation .... Designation...........

Explanatory Note – (1) Columns No. (4) : Information about the fees collected in each month and sent to the Regulatory Commission is contained in the Form : Information for every month in the Form shall be numbered by the Concerned University as Statement Number. Private University shall also mention the year. This statement number and year should be mentioncd in this column in the office of the Regulatory Commission.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विजय, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2016—पौष 14, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2016

क्र. 219-6-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 1 जनवरी, 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.